

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 11 सितम्बर, 2020

**संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-16/2020.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित /—  
सचिव,  
हि0 प्र0 विधान सभा।

2020 का विधेयक संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

**खण्ड:**

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 4 का प्रतिस्थापन।
3. धारा 5 का संशोधन।
4. धारा 6 का संशोधन।
5. धारा 7 का संशोधन।

2020 का विधेयक संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1. संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

**2. धारा 4 का प्रतिस्थापन.**—हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4. बोर्ड की स्थापना और गठन.—(1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा "पर्यटन विकास बोर्ड" के नाम से जाना जाने वाला बोर्ड, स्थापित कर सकेगी।

(2) बोर्ड, उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा:—

- |  |                   |
|--|-------------------|
| (i) मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश                     | अध्यक्ष;          |
| (ii) पर्यटन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश                   | वरिष्ठ उपाध्यक्ष; |
| (iii) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति          | उपाध्यक्ष;        |
| (iv) शासकीय सदस्य:                                   |                   |
| (क) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार;                 |                   |
| (ख) सचिव (पर्यटन), हिमाचल प्रदेश सरकार;              |                   |
| (ग) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार;               |                   |
| (घ) सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार;                  |                   |
| (ङ) सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार;   |                   |
| (च) सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार;          |                   |
| (छ) सचिव (नगर एवं ग्राम योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार; |                   |
| (ज) सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल), हिमाचल प्रदेश सरकार; |                   |
| (झ) सचिव (स्वास्थ्य/आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार;  |                   |
| (ञ) सचिव (उद्यान), हिमाचल प्रदेश सरकार;              |                   |
| (ट) सचिव (आबकारी एवं कराधान), हिमाचल प्रदेश सरकार;   |                   |
| (ठ) सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार;              |                   |
| (ड) सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार;               |                   |
| (ढ) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार;                |                   |

(ग) सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(v) गैर सरकारी सदस्य :

(क) होटल संगम के चार प्रतिनिधि;

(ख) यात्रा अभिकर्ता संगम के दो प्रतिनिधि;

(ग) साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर संगम के दो प्रतिनिधि;

(घ) पर्यटन उद्योग के अन्य हित वाले समूहों के दो प्रतिनिधि;

(ङ) सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, उन व्यक्तियों में से जिनका पर्यटन उद्योग के विकास के क्षेत्र में और उसके संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान या विशेषज्ञता है और जिनका पर्यटन व्यवसाय में कम से कम दस वर्ष का कार्य करने का अनुभव है, में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन गैर-सरकारी सदस्य;

(च) रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि; और

(vi) निदेशक (पर्यटन) हिमाचल प्रदेश पदेन सदस्य-सचिव।

(4) उपाध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जैसे विहित किए जाएं।”।

**3. धारा 5 का संशोधन.—**मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में, “गैर-सरकारी सदस्यों” शब्दों से पूर्व “उपाध्यक्ष और” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, “किसी गैर-सरकारी सदस्य” शब्दों और चिन्ह से पूर्व “उपाध्यक्ष या” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) उपधारा (3) में, “कोई भी” शब्दों के स्थान पर “उपाध्यक्ष कोई भी” शब्द रखे जाएंगे।

**4. धारा 6 का संशोधन.—**मूल अधिनियम की धारा 6 में, “गैर-सरकारी सदस्य” शब्दों और चिन्ह से पूर्व “उपाध्यक्ष या” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

**5. धारा 7 का संशोधन.—**मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में “उपाध्यक्ष द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में” शब्दों के स्थान पर “वरिष्ठ उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपरोक्त समस्त की अनुपस्थिति में” शब्द रखे जाएंगे।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना और गठन का उपबन्ध भी करता है। धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार क्रमशः मुख्य मन्त्री और पर्यटन मन्त्री बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड के कृत्यों की देख-रेख करता है और इसकी बैठकों की अध्यक्षता भी

करता है। तथापि, कई बार पर्यटन विभाग का संविभाग मुख्यमन्त्री के पास ही होता है। क्योंकि मुख्यमन्त्री पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, और तत्समय बोर्ड के कार्यकलापों के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन द्वारा नियुक्त करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने के लिए उपबन्ध करना समीचीन समझा गया है ताकि बोर्ड के कृत्यों को सुचारु रूप से चलाया जा सके। इससे बोर्ड के कार्यकरण की दक्षता में भी बढ़ौतरी होगी। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन किए जाने अनिवार्य हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जयराम ठाकुर)  
मुख्य मन्त्री।

शिमला :  
तारीख.....2020.

-----  
*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 11 of 2020**

**THE HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT AND REGISTRATION  
(AMENDMENT) BILL, 2020**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Substitution of section 4.
3. Amendment of section 5.
4. Amendment of section 6.
5. Amendment of section 7.

-----  
**Bill No. 11 of 2020.**

**THE HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT AND REGISTRATION  
(AMENDMENT) BILL, 2020**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002  
(Act No. 15 of 2002).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called The Himachal Pradesh Tourism Development and Registration (Amendment) Act, 2020.

**2. Substitution of section 4.**—For section 4 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (15 of 2002) (hereinafter referred to as the 'principal Act'), the following shall be substituted, namely :—

"4. Establishment and constitution of the Board.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, establish a Board to be known as the "Tourism Development Board" for carrying out the purposes of this Act.

(2) The Board shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property and to contract and may, by the said name sue and be sued.

(3) The Board shall consist of the following members :—

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| (i) Chief Minister of Himachal Pradesh     | Chairman;             |
| (ii) Tourism Minister of Himachal Pradesh  | Senior Vice-Chairman; |
| (iii) A person nominated by the Government | Vice-Chairman;        |

(iv) Official members:

- (a) Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh;
- (b) Secretary (Tourism) to the Government of Himachal Pradesh;
- (c) Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh;
- (d) Secretary (Forest) to the Government of Himachal Pradesh;
- (e) Secretary (PWD) to the Government of Himachal Pradesh;
- (f) Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh;
- (g) Secretary (Town and Country Planning) to the Government of Himachal Pradesh;
- (h) Secretary (Youth Services and Sports) to the Government of Himachal Pradesh;
- (i) Secretary (Health/Ayurveda) to the Government of Himachal Pradesh;
- (j) Secretary (Horticulture) to the Government of Himachal Pradesh;
- (k) Secretary (Excise and Taxation) to the Government of Himachal Pradesh;
- (l) Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh;
- (m) Secretary (Planning) to the Government of Himachal Pradesh;
- (n) Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh; and
- (o) Secretary (Language, Art and Culture) to the Government of Himachal Pradesh;

(v) Non-official members:

- (a) four representatives of the Hotels Associations;
- (b) two representatives of the Travel Agent's Associations;
- (c) two representatives of the Adventure Sports Operator's Associations;

- (d) two representatives of the other interested groups of tourism industry;
  - (e) three non-official members, to be nominated by the Government, by notification, from amongst the persons, having outstanding contribution or expertise in the field of development and promotion of tourism industry and having experience of working in the tourism trade for atleast 10 years; and
  - (f) two representatives of the registered Non-Government Organizations; and
- (vi) Director (Tourism), Himachal Pradesh                      Ex-Officio  
Member-Secretary.

(4) The Vice-Chairman and non-official members shall be paid such allowances, as may be prescribed."

**3. Amendment of section 5.**—In section 5 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), after the words "The term of office of the", the words "Vice-Chairman and the" shall be inserted;
- (b) in sub-section (2), after the words "the continuance in the office of", the words "the Vice-Chairman or" shall be inserted; and
- (c) in sub-section (3), for the word "Any", the words "The Vice-Chairman or any" shall be substituted.

**4. Amendment of section 6.**—In section 6 of the principal Act, after the words "disqualified for being", the words "the Vice-Chairman or" shall be inserted.

**5. Amendment of section 7.**—In section 7 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for the words "the Vice-Chairman and in the absence of both", the words "the Senior Vice-Chairman and in the absence of both, the Vice-Chairman and in the absence of all the above" shall be substituted.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No. 15 of 2002), *inter-alia*, provides for the establishment and constitution of the Tourism Development Board. As per the provision of section 4, the Chairman and Vice-Chairman of the Board shall be the Chief Minister and Tourism Minister respectively. In the absence of the Chairman, the Vice-Chairman looks after the functions of the Board and also presides over its meetings. However, sometimes the portfolio of Tourism Department is held by the Chief Minister. Since, the Chief Minister remains pre-occupied, and at times, may not be in a position to devote sufficient time to look after the affairs of the Board, therefore, it has been considered expedient to make a provision to enable the Government to appoint a person by nomination as Vice-Chairman, so that the functions of the Boards may be performed smoothly. This will also increase the efficiency in the working of the Board. This has necessitated the proposed amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(JAI RAM THAKUR)**  
*Chief Minister.*

SHIMLA :  
The ....., 2020.